टैक्स नहीं भरा तो संपत्ति जब्त

दैनिक जागरण 9-1-13

नगरपालिका कर एवं गैर कर राजस्व वसूली विनियम को कैबिनेट से मंजूरी

जागरण ब्यूरो, पटना : होल्डिंग टैक्स बकाया रहने पर आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है। नगर निकाय बकाया के लिए नोटिस दे सकते हैं। सुविधाएं बंद कर सकते हैं। नगरपालिका अधिनियम के आलोक में कर एवं गैर कर राजस्व वसूली विनियम में इसका प्रावधान किया गया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही 920 एकड़ में गर्दनीबाग में बने सरकारी क्वार्टर को तोड़कर नए सिरे से विकसित करने और इसके लिए परामर्शी की नियुक्ति की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद प्रधान सचिव (मंत्रिमंडल) विजय प्रकाश ने बताया कि कर एवं गैर कर राजस्व वसूली विनियम के जरिए नगर निकायों को और सक्षम बना दिया गया है। टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ अभी सर्टिफिकेट केस का प्रावधान है। जिलाधिकारी को इससे संबंधी शक्ति है। बकाया वसूली के संबंध में अब निकाय मांग पत्र ■ शेष पृष्ठ 19 पर

होल्डिंग टैक्स बकायेदारों पर कसेगा शिकंजा

- परामर्शी के चयन के लिए तय हुई प्रक्रिया
- विभिन्न संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृति
- सचिवालय सेवा के 33 अफसर बनेंगे उप सचिव

गर्दनीबाग सरकारी आवासों को तोड़कर नये निर्माण

बिहटा में नए ग्रिड के निर्माण व संचरण के निर्माण को मंजूरी

भुगतना पड़ेगा खामियाजा

- 30 सितंबर तक करना होगा होल्डिंग टैक्स का भुगतान
- एक माह देरी पर डेढ़ फीसद मासिक दर से लगेगा ब्याज
- उसके बाद भी भुगतान नहीं तो निकाय जारी करेगा मांग पत्र
- मांग पत्र के 21 दिनों बाद रोकी जायेगी जलापूर्ति व अन्य सुविधाएं
- फिर सात दिनों की नोटिस पर भेजा जाएगा विशेष मांग पत्र
- अंत में निकाय चल-अचल संपति बिक्री व कुर्की को स्वतंत्र

पीपीपी के आधार पर गर्दनीबाग के विकास के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। भागीदार के चयन को परामर्शी की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया को भी स्वीकृति दी गई। यहां वर्ग तीन और वर्ग चार के सरकारी कर्मियों के 770 आवास हैं। इनका नए सिरे से निर्माण होगा। इसमें सरकारी सेवकों को आवास तथा अतिरिक्त भूमि का उपयोग दूसरे आवासीय व व्यावसायिक परिसर के रूप में किया जाएगा।

महिला थानों में 600 महिला आरक्षी, गाड़ी को 3.92 करोड़

- 'दामिनी कांड' के बाद बिहार पुलिस सतर्क, होना है दुष्कर्म के मामलों का स्पीडी ट्रायल भी
- 17 को सिपाहियों की पासिंग आउट परेड, महिला व एससी-एसटी थानों को 80 गाड़ियां

जागरण ब्यूरो, पटना : 'दामिनी कांड' की गूंज के बीच राज्य सरकार ने अपने महिला थानों को सशक्त करने का निर्णय लिया है। महिला थानों में 600 महिला आरक्षी की तैनाती की जाएगी। बिहार मिलिट्री पुलिस (बीएमपी) ने इन्हें शस्त्र सहित अन्य आवश्यक प्रशिक्षण दिया है। 17 जनवरी को इनका पासिंग आउट परेड होगा।

इधर, मंगलवार को बैठी कैबिनेट ने महिला और अनुसूचित जाति एवं जनजाति थानों में 80 वाहनों की खरीद के लिए 3.92 करोड़ रुपये मंजूर किए। इससे 80 एमपीआइ ■ शेष पृष्ठ 19 पर